रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18052024-254232
CG-MH-E-18052024-254232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946
No. 355] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VAISAKHA 27, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 17 मई, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/178.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में, -

I. विनियम 14 में, उप-विनियम (1) में, पहले परंतुक में, शब्दों “भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनियाँ” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) बीमा कंपनियाँ या कोई सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] या कोई एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो]” जोड़े जाएँगे, और शब्दों “कर सकेंगी” के स्थान पर शब्द “कर सकेगी” आ जाएँगे;

II. विनियम 15 में,

i. उप-विनियम (1) में,

1. खंड (ख) में, शब्दों “भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनियों” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) बीमा कंपनियों या किसी सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] या किसी एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो]” आ जाएँगे;

2. खंड (ख) में, परंतुक में,

क. खंड (i) में, शब्दों तथा चिह्नों “भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) बीमा कंपनियाँ” के बाद और चिह्नों तथा शब्दों “(जो भी लागू हों)” से पहले, शब्द तथा चिह्न “या कोई सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] या कोई एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो]” जोड़े जाएँगे, और शब्दों “करते हैं” के स्थान पर शब्द “करती है” आ जाएँगे;

ख. खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित नया खंड (iv) जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

“(iv) ऐसी पूर्णतः समादत्त अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (फुली पेड-अप कंपल्सरिली कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) [जिनमें निक्षेपागार रसीदें (डिपॉज़िटरी रिसीट्स) भी शामिल हैं] के संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न) या उनकी अदला-बदली (के विनिमय) से मिलने वाले इक्विटी शेयरों के प्रति, जो संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) और आनुकल्पिक निवेश निधियों (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) के पास या विदेशी जोखिम पूँजी (वेंचर कैपिटल) निवेशकों के पास या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास या लोक वित्तीय संस्थाओं के पास या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के यहाँ पंजीकृत बीमा कंपनियों के पास या किसी सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास

निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] के पास या किसी एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो] के पास (जो भी लागू हो) हों और जो प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख से पहले कम से कम एक वर्ष की अवधि से हों, और ऐसी पूर्णतः समादत्त अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तन या उनकी इक्विटी शेयरों में अदला-बदली प्रस्ताव दस्तावेज [अर्थात् बही-निर्माण वाले निर्गम (बुक बिल्ट इश्यू) के मामले में प्रारंभिक (रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस और नियत कीमत वाले निर्गम (फिक्स्ड प्राइस इश्यू) के मामले में प्रॉस्पेक्टस] दाखिल किए जाने से पहले ही की जा चुकी हो, बशर्ते कि इस प्रकार संपरिवर्तित किए जाने या अदला-बदली किए जाने से संबंधित शर्तों आदि की पूरी जानकारी ऐसे प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में दे दी जाए;"

3. खंड (ग) में, शब्दों "भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) बीमा कंपनियों" के बाद और शब्दों "को आबंटित निर्धारित प्रतिभूतियाँ" से पहले, शब्द तथा चिह्न "या किसी सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] या किसी एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो]" जोड़े जाएँगे;

III. विनियम 16 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, शब्दों "भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनियों" के बाद और शब्दों "द्वारा किया गया अंशदान" से पहले, शब्द तथा चिह्न "या किसी सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] या किसी एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो]" जोड़े जाएँगे;

IV. विनियम 38 हट जाएगा;

V. विनियम 46 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों तथा चिह्न "तीन कार्य-दिवसों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "एक कार्य-दिवस" आ जाएँगे और शब्दों "ऐसी ही परिस्थितियों में" के स्थान पर शब्द "ऐसी ही अप्रत्याशित परिस्थितियों में" आ जाएँगे;

VI. विनियम 80 हट जाएगा;

VII. विनियम 135 हट जाएगा;

VIII. विनियम 142 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों तथा चिह्न "तीन कार्य-दिवसों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "एक कार्य-दिवस" आ जाएँगे और शब्दों "ऐसी ही परिस्थितियों में" के स्थान पर शब्द "ऐसी ही अप्रत्याशित परिस्थितियों में" आ जाएँगे;

IX. विनियम 166 में,-

i. मौजूदा विनियम अब उप-विनियम (1) बन जाएगा;

ii. उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम (2) जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"(2) कीमत में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव होने की वजह से और जिस घटना आदि की जानकारी मिले उसकी पुष्टि होने की वजह से निर्गमकर्ता (इश्युअर) के इक्विटी शेयरों की कीमत पर जो असर पड़े, उसे, इन विनियमों के विनियम 164, 164क, 164ख या 165 के अनुसार किसी प्रेफरेंशियल इश्यू (अधिमानी निर्गम) के संबंध में कीमत तय करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] के विनियम 30 के उप-विनियम (11) के तहत निर्धारित किए गए ढाँचे के अनुसार शामिल नहीं किया जा सकेगा।"

X. विनियम 176 में, मौजूदा उप-विनियम (4) के बाद और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित नया उप-विनियम (5) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(5) कीमत में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव होने की वजह से और जिस घटना आदि की जानकारी मिले उसकी पुष्टि होने की वजह से निर्गमकर्ता (इश्युअर) के इक्विटी शेयरों की कीमत पर जो असर पड़े, उसे, इस विनियम के तहत निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) की गणना करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] के विनियम 30 के उप-विनियम (11) के तहत निर्धारित किए गए ढाँचे के अनुसार शामिल नहीं किया जा सकेगा।"

XI. विनियम 197 हट जाएगा;

XII. विनियम 203 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों "तीन कार्य-दिवसों" के स्थान पर शब्द "एक कार्य-दिवस" आ जाएँगे और शब्दों "ऐसी ही परिस्थितियों में" के स्थान पर शब्द "ऐसी ही अप्रत्याशित परिस्थितियों में" आ जाएँगे;

XIII. विनियम 236 में, उप-विनियम (1) में, पहले परंतुक में, शब्दों "भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनियाँ" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पंजीकृत (रजिट्रीकृत) बीमा कंपनियाँ या कोई सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] या कोई एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो]" आ जाएँगे, और शब्दों "कर सकेंगी" के स्थान पर शब्द "कर सकेगी" आ जाएँगे;

XIV. विनियम 237 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में,

i. शब्दों "से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनियों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "से पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) बीमा कंपनियों या किसी सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] या किसी एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो

संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो]" आ जाएँगे, और शब्दों "करते हैं" के स्थान पर शब्द "करती है" आ जाएँगे;

ii. परंतुक में,

1. खंड (i) में, शब्दों "भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनियाँ" के बाद और चिह्नों तथा शब्दों "(जो भी लागू हों)" से पहले, शब्द तथा चिह्न "या कोई सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] या कोई एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो]" आ जाएँगे;

2. खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित नया खंड (iv) जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"(iv) ऐसी पूर्णतः समादत्त अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (फुली पेड-अप कंपल्सरिली कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) [जिनमें निक्षेपागार रसीदें (डिपॉज़िटरी रिसीट्स) भी शामिल हैं] के संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न) या उनकी अदला-बदली (के विनिमय) से मिलने वाले इक्विटी शेयरों के प्रति, जो संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) और आनुकल्पिक निवेश निधियों (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) के पास या विदेशी जोखिम पूँजी (वेंचर कैपिटल) निवेशकों के पास या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास या लोक वित्तीय संस्थाओं के पास या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के यहाँ पंजीकृत बीमा कंपनियों के पास या किसी सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] के पास या किसी एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो] के पास (जो भी लागू हो) हों और जो प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख से पहले कम से कम एक वर्ष की अवधि से हों, और ऐसी पूर्णतः समादत्त अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तन या उनकी इक्विटी शेयरों में अदला-बदली प्रस्ताव दस्तावेज [अर्थात् बही-निर्माण वाले निर्गम (बुक बिल्ट इश्यू) के मामले में प्रारंभिक (रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस और नियत कीमत वाले निर्गम (फिक्स्ड प्राइस इश्यू) के मामले में प्रॉस्पेक्टस] दाखिल किए जाने से पहले ही की जा चुकी हो, बशर्ते कि इस प्रकार संपरिवर्तित किए जाने या अदला-बदली किए जाने से संबंधित शर्तों आदि की पूरी जानकारी ऐसे प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में दे दी जाए;"

XV. विनियम 238 में, खंड (क) में, शब्दों "से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनियों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "से पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) बीमा कंपनियों या किसी सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] या किसी एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो]" आ जाएँगे;

XVI. विनियम 259 हट जाएगा;

XVII. विनियम 266 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों तथा चिह्न "तीन कार्य-दिवसों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "एक कार्य-दिवस" आ जाएँगे और शब्दों "ऐसी ही परिस्थितियों में" के स्थान पर शब्द "ऐसी ही अप्रत्याशित परिस्थितियों में" आ जाएँगे;

XVIII. विनियम 292 में,

i. उप-विनियम (4) में, परंतुक में, शब्दों "से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनियाँ" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "से पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) बीमा कंपनियाँ या कोई सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] या कोई एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो]" आ जाएँगे, और शब्दों "कर सकेंगी" के स्थान पर शब्द "कर सकेगी" आ जाएँगे;

ii. उप-विनियम (5) में, खंड (क) में, शब्दों "से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनियों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "से पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) बीमा कंपनियों या किसी सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास निर्गम (इश्यू) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] या किसी एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक न हो किंतु संप्रवर्तक समूह का हिस्सा हो]" आ जाएँगे;

XIX. अनुसूची-XIII में, पैरा (9) में, उप-पैरा (ii) में, शब्दों तथा चिह्न "तीन कार्य-दिवसों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "एक कार्य-दिवस" आ जाएँगे और शब्दों "ऐसी ही परिस्थितियों में" के स्थान पर शब्द "ऐसी ही अप्रत्याशित परिस्थितियों में" आ जाएँगे;

XX. अनुसूची-XVI में, पैरा (1) में, उप-पैरा (च) में,

i. मद (i) में,

क. शब्दों "निर्गम के अनुमानित आकार" के बाद और शब्दों "में निर्गम के अनुमानित आकार" से पहले चिह्न तथा शब्द "(रुपये में)" जोड़े जाएँगे;

ख. शब्दों तथा चिह्नों "निर्गम के अनुमानित आकार (रुपये में) में" के बाद दिए हुए शब्द "निर्गम के अनुमानित आकार के" हट जाएँगे;

ii. मद (ii) में, शब्दों "निर्गम के अनुमानित आकार" के बाद और शब्दों "में पचास प्रतिशत से अधिक" से पहले, चिह्न तथा शब्द "(रुपये में), जिसका भी उल्लेख प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) में किया जाए," जोड़े जाएँगे;

XXI. अनुसूची-XVIक में, पैरा (1) में, उप-पैरा (क) में,

i. मद (vi) में, शब्दों तथा चिह्नों "निर्गम के अनुमानित आकार (साइज़)" के बाद और शब्दों "में पचास प्रतिशत से ज्यादा" से पहले चिह्न तथा शब्द "[रुपये में]" जोड़े जाएँगे;

ii. मद (vii) में, शब्दों "निर्गम के अनुमानित आकार" के बाद और शब्दों "में पचास प्रतिशत से ज्यादा" से पहले चिह्न तथा शब्द "(रुपये में), जिसका भी उल्लेख प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) में किया जाए," जोड़े जाएँगे ।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./126/2024-25]

<u>पाद टिप्पण</u> :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात् -

   (क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2018/57, द्वारा

   (ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2019/05, द्वारा

   (ग) 5 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2019/08, द्वारा

   (घ) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन /2019/29, द्वारा

   (ङ) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2019/35, द्वारा

   (च) 6 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2019/42, द्वारा

   (छ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ. /जी.एन./2019/47, द्वारा

(ज) 1 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/01, द्वारा

(झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(ञ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/011, द्वारा

(ट) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/17, द्वारा

(ठ) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/18, द्वारा

(ड) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/21, द्वारा

(ढ) 28 सितम्बर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/31, द्वारा

(ण) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2021/03, द्वारा

(त) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/18, द्वारा

(थ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(द) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/45, द्वारा

(ध) 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/52, द्वारा

(न) 14 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/63, द्वारा

(प) 27 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/82, द्वारा

(फ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/90, द्वारा

(ब) 21 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/107, द्वारा

(भ) 13 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/114, द्वारा

(म) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

(य) 23 मई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/130, द्वारा

(कक) 21 दिसम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2023/162, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th May, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/178.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -

I. in regulation 14, in sub-regulation (1), in the first proviso, after the words "Insurance Regulatory and Development Authority of India" and before the words "may contribute", the words and symbols "or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s)" shall be inserted;

II. in regulation 15,

ii. in sub-regulation (1),

1. in clause (b), after the words "Insurance Regulatory and Development Authority of India" and before the words and symbol ", during the preceding", the words and symbols "or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s)" shall be inserted;

2. in clause (b), in the proviso,

A. in clause (i), after the words "Insurance Regulatory and Development Authority of India" and before the words and symbol ", as applicable", the words and symbols "or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s)" shall be inserted;

B. after clause (iii), the following new clause (iv) shall be inserted, namely-

"(iv) to equity shares arising from the conversion or exchange of fully paid-up compulsorily convertible securities, including depository receipts, that have been held by the promoters and alternative investment funds or foreign venture capital investors or scheduled commercial banks or public financial institutions or insurance companies registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s), as applicable, for a period of at least one year prior to the filing of the draft offer document and such fully paid-up compulsorily convertible securities are converted or exchanged into equity shares prior to the filing of the offer document (i.e., red herring prospectus in case of a book built issue and prospectus in case of a fixed price issue), provided that full disclosures of the terms of conversion or exchange are made in such draft offer document;"

3. in clause (c), after the words "Insurance Regulatory and Development Authority of India" and before the words "during the preceding one year", the words and symbols "or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s)" shall be inserted;

III. in regulation 16, in sub-regulation (1), in clause a, after the words "Insurance Regulatory and Development Authority of India" and before the words "referred to in proviso to", the words and symbols "or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s)" shall be inserted;

IV. Regulation 38 shall be omitted;

V. In regulation 46, in sub-regulation (3), the words "three working days" shall be substituted by the words "one working day" and after the word "similar", the word "unforeseen" shall be inserted;

VI. Regulation 80 shall be omitted;

VII. Regulation 135 shall be omitted;

VIII. in regulation 142, in sub-regulation (3), the words "three working days" shall be substituted by the words "one working day" and after the word "similar", the word "unforeseen" shall be inserted;

IX. in Regulation 166, -

i. the existing regulation shall be renumbered as sub-regulation (1);

ii. after sub-regulation (1), the following new sub-regulation (2) shall be inserted, namely-

"(2) The effect on the price of the equity shares of the issuer due to material price movement and confirmation of reported event or information may be excluded as per the framework specified under sub-regulation (11) of regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for determination of the price for a preferential issue in accordance with regulations 164, 164A, 164B or 165 of these regulations."

X. in regulation 176, after the existing sub-regulation (4) and before the Explanation, the following new-sub-regulation (5) shall be inserted, namely,-

"(5) The effect on the price of the equity shares of the issuer due to material price movement and confirmation of reported event or information may be excluded as per the framework specified under sub-regulation (11) of regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for calculation of the issue price under this regulation."

XI. Regulation 197 shall be omitted;

XII. Regulation 203, in sub-regulation (3), the words "three working days" shall be substituted by the words "one working day" and after the word "similar", the word "unforeseen" shall be inserted;

XIII. in regulation 236, in sub-regulation (1), in the first proviso, after the words "Insurance Regulatory and Development Authority of India" and before the words "may contribute to meet the shortfall", the words and symbols "or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s)" shall be inserted;

XIV. in regulation 237, sub-regulation (1), in clause (b),

i. after the words "Insurance Regulatory and Development Authority of India" and before the words and symbol ", during the preceding one year", the words "or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s)" shall be inserted;

ii. in the proviso,

1. in clause (i), after the words "Insurance Regulatory and Development Authority of India" and before the words and symbol ", as applicable", the words and symbols "or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s)" shall be inserted;

2. after clause (iii), the following new clause (iv) shall be inserted, namely-

"(iv) to equity shares arising from the conversion or exchange of fully paid-up compulsorily convertible securities, including depository receipts, that have been held by the promoters and alternative investment funds or foreign venture capital investors or scheduled commercial banks or public financial institutions or insurance companies registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s), as applicable, for a period of at least one year prior to the filing of the draft offer document and such fully paid-up compulsorily convertible securities are converted or exchanged into equity shares prior to the filing of the offer document

(i.e., red herring prospectus in case of a book built issue and prospectus in case of a fixed price issue), provided that full disclosures of the terms of conversion or exchange are made in such draft offer document;"

XV. in regulation 238, in clause (a), after the words "Insurance Regulatory and Development Authority of India" and before the words and symbol ", as applicable", the words and symbols "or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s)" shall be inserted;

XVI. Regulation 259 shall be omitted;

XVII. in regulation 266, in sub-regulation (3), the words "three working days" shall be substituted by the words "one working day" and after the word "similar", the word "unforeseen" shall be inserted;

XVIII. in regulation 292,

i. in sub-regulation (4), in the proviso, after the words "Insurance Regulatory and Development Authority of India" and before the words and symbol "may contribute to meet", the words and symbols "or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s)" shall be inserted;

ii. in sub-regulation (5), in clause (a), after the words "Insurance Regulatory and Development Authority of India" and before the words and symbol ", shall be locked", the words and symbols "or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s)" shall be inserted;

XIX. in schedule XIII, paragraph (9), sub-paragraph (ii), the words "three working days" shall be substituted by the words "one working day" and after the word "similar", the word "unforeseen" shall be inserted;

XX. in schedule XVI, paragraph (1), sub-paragraph (f),

i. in item (i),

A. after the words "in estimated issue size" and before the words "by more than twenty", the words and symbols "(in Rupee value)" shall be inserted;

B. the words "of the estimated issue size" appearing after the words and symbol "by more than twenty per cent.", shall be omitted;

ii. in item (ii), after the words "the estimated issue size" and before the words and symbol ", by more than fifty per cent.", the words and symbols "(in Rupee value), whichever is disclosed in the draft offer document" shall be inserted;

XXI. in schedule XVI-A, paragraph (1), sub-paragraph (a),

i. in item (vi), after the words "the estimated issue size" and before the words and symbol "by more than fifty", the words and symbols "(in Rupee value)" shall be inserted;

ii. in item (vii), after the words "the estimated issue size" and before the words and symbol ", by more than fifty", the words and symbols (in Rupee value), whichever is disclosed in the draft offer document" shall be inserted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./126/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.

2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -

(a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.

(b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.

(c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.

(d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.

(e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.

(f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.

(g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.

(h) January 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.

(i) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(j) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.

(k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.

(l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.

(m) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.

(n) September 28, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/31.

(o) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/03.

(p) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/18.

(q) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

(r) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/45.

(s) October 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/52.

(t) January 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/ 63.

(u) April 27, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/82.

(v) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/90.

(w) November 21, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/107.

(x) January 13, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/114.

(y) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.

(z) May 23, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/130.

(aa) December 21, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/162.

5Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.18 15:21:38 +05'30'